नैनीताल में उत्तरखंड के उच्च न्यायालय में आरक्षित

लिखित याचिका (एस/एस) सं। 2020 का 273

करम सिंह, आयु लगभग 53 वर्ष (पुरुष), पुत्र
श्री स्वर्गीय भरत सिंह बिष्ट,
आर/ओ गाँव मराडा, पट्टी मुखलोभी,
तहसील और जिला टिहरी गढ़वाल याचिकाकर्ता

बनाम

1. उत्तराखंड सरकार के राजस्व सचिव, देहरादून द्वारा से उत्तराखंड राज्य।
2. जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल, जिला टिहरी गढ़वाल।
3. जाँच समिति 2019 अपने अध्यक्ष/अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा से,
टिहरी गढ़वाल, जिला टिहरी गढ़वाल।प्रतिवादी

वर्तमानः
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री शिवानंद भट्ट।
श्री N.P। शाह, राज्य/प्रत्यर्थियों के लिए स्थायी वकील।

न्याय

प्रति:माननीय रवींद्र मैथानी, जे.

याचिकाकर्ता ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिनांक 17.01.2020 के आदेश को चुनौती दी है।

2. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि जुलाई, 1995 के महीने में उन्हें पटवारियों (राजस्व उप निरीक्षक) के रूप में नियुक्त किया गया था।अपनी नियुक्ति की तारीख से, वह अपने कर्तव्यों का कुशलता से निर्वहन कर रहे हैं।प्रचलित और लागू भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार, पटवारियों का पदोन्नति पद कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) है।07.11.2019 पर, याचिकाकर्ता को कानूनगो के प्रशिक्षण में शामिल होने का निर्देश दिया गया था।उन्हें जिला मजिस्ट्रेट ने 18.11.2019 पर प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए मुक्त कर दिया था, जिसमें वे प्रशिक्षण केंद्र, अल्मोड़ा में शामिल हुए थे।प्रशिक्षण तीन महीने की अवधि के लिए था, जो 15.02.2020 पर समाप्त होना था।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि सरकारी आदेश दिनांक 20.02.2020 और 24.07.2019 के अनुसार, एक जांच समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया और सिफारिश की कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप के अनुसार के अनुसारवानिवृत्त नहीं किया जाना चाहिए और उके अनुसार 50 साल के अनुसार अधिक समय तक काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।लेकिन फिर, अचानक, 17.01.2020 पर, याचिकाकर्ता को बिना कोई नोटिस दिए अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

4. राज्य ने अपना जवाबी शपथ पत्र दाखिल किया।तथ्यात्मक पहलुओं से इनकार नहीं किया गया है।राज्य के जवाबी शपथ पत्र के अनुसार, सरकारी आदेश के अनुसार, 10.01.2020 पर, जांच समिति ने अपनी बैठक में याचिकाकर्ता के के अनुसारवा रिकॉर्ड पर विचार किया।वर्ष 1997-1998, 2003-2004, 2004-2005 और 2007-2008 की विभिन्न प्रतिकूल प्रविष्टियाँ थीं और याचिकाकर्ता से मांगे गए स्पष्टीकरण के संबंध में उप-मंडल मजिस्ट्रेट, नरेंद्र नगर की दिनांकित 10.01.2020 रिपोर्ट पर भी विचार किया गया और सिफारिश की गई कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाए।जिसके अनुसार 17.01.2020 पर, याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

5. पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि 07.11.2019 पर, याचिकाकर्ता को उसकी पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित किया गया था और वह प्रशिक्षण में शामिल हो गया था।अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए, जांच समिति ने आई. डी. 2 पर बैठक की और याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया, जिसमें वर्ष आई. डी. 4, आई. डी. 5, आई. डी. 3 और 2007-2008 में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों के साथ-साथ आई. डी. 1 की उप-मंडल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सहित पूरे सेवा रिकॉर्ड की जांच की गई और सिफारिश की गई कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जाना चाहिए और उसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।लेकिन, यह तर्क दिया जाता है कि अगले दो महीनों के भीतर, याचिकाकर्ता के मामले पर फिर से विचार किया गया और उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है, जो कानून के अनुसार अनुमेय नहीं है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि 50 वर्ष से अधिक के कर्मचारियों के मामले का मूल्यांकन करने की पूरी कवायद है

सरकारी आदेश सं। 131 दिनांकित 20.02.2002 (अनुलग्नक 1), जो क्र. सं. नहीं। 6 जाँच समिति के लिए समय सारिणी देता है और इसके उपखंड (2) के अनुसार, 50 वर्ष के अनुसार अधिक के कर्मचारियों की जाँच हर वर्ष करनी होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 50 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों के मामले पर विचार करने के लिए जांच समिति को वर्ष में एक बार बैठक करनी होती है।एक वर्ष में दो बार समिति सरकारी आदेश दिनांक 20.02.2020 के अनुसार नहीं बैठ सकती है।विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करेंगे कि दिनांक 1 की अपनी बैठक में, जांच समिति ने याचिकाकर्ता के पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार किया था और उसे 50 साल से अधिक समय तक जारी रखने की सिफारिश की थी।इसके बाद, उनका मूल्यांकन एक साल के बाद किया जा सकता था।लेकिन जनवरी, 2020 के महीने में मामले की फिर से समीक्षा करते हुए, प्रतिवादी राज्य द्वारा एक प्रक्रियात्मक, अनुचितता की गई है, जिसे आक्षेपित आदेश को रद्द करके सुधारने की आवश्यकता है।

7. यह भी तर्क दिया जाता है कि, वास्तव में, पदोन्नति देने से, पहले की प्रतिकूल टिप्पणियाँ, तय किए गए कानून को देखते हुए, समाप्त हो गई थीं।अपने दलील के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने अरुण कुमार गुप्ता बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य, (2020) 13 एस. सी. सी. 355 और सुरेंद्र सिंह नेगी (मृत होने के बाद से) और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य, 2010 के मामलों में निर्धारित कानून के सिद्धांतों पर भरोसा रखा है।
(1) यूडी 71।

8. अरुण कुमार गुप्ता (ऊपर) के मामले में, पैरा 7 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन सिद्धांतों का संदर्भ दिया जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में मार्गदर्शन करते हैं, जो नीचे दिए गए हैं:-

> "7. अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अवधारणा से निपटने वाले बैकुंता नाथ दास बनाम [जिला] चिकित्सा अधिकारी 1 मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:(एससीसी पीपी।315-16, पैरा 34)
>
> "34. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं:
>
> (i) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई सजा नहीं है।इसका मतलब कोई कलंक नहीं है और न ही दुर्व्यवहार का कोई सुझाव है।
>
> (ii) सरकार द्वारा यह राय बनाने पर आदेश पारित किया जाना चाहिए कि किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना जनहित में है।यह आदेश सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाता है।

1. (1999) 1 एससीसी 529:1999 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 313

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है।इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक जांच को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।यद्यपि उच्च न्यायालय या यह न्यायालय एक अपील न्यायालय के रूप में मामले की जांच नहीं करेगा, वे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि आदेश पारित किया गया है (क) दुर्भावपूर्ण या (ख) यह किसी साक्षय पर आधारित नहीं है या (ग) यह मनमाना है-इस अर्थ में कि कोई भी उचित व्यक्ति दी गई सामग्री पर अपेक्षित राय नहीं बनाएगा; संक्षेप में, यदि यह एक विकृत आदेश पाया जाता है।

(iv) सरकार (या समीक्षा समिति, जैसा भी मामला हो) को मामले में निर्णय लेने से पहले सेवा के पूरे रिकॉर्ड पर विचार करना होगा-निश्चित रूप से बाद के वर्षों के दौरान रिकॉर्ड और प्रदर्शन को अधिक महत्व देना होगा।इस तरह से विचार किए जाने वाले रिकॉर्ड में स्वाभाविक रूप से गोपनीय रिकॉर्ड/चरित्र सूची में प्रविष्टियां शामिल होंगी, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों।यदि प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद किसी सरकारी कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो इस तरह की टिप्पणियों का प्रभाव कम हो जाता है, विशेष रूप से यदि पदोन्नति योग्यता (चयन) पर आधारित है न कि वरिष्ठता पर।

(v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश केवल यह दिखाने पर कि इसे पारित करते समय असंसदीय प्रतिकूल टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था, न्यायालय द्वारा अभिखंडित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।वह परिस्थिति अपने आप में हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती।

हस्तक्षेप की अनुमति केवल ऊपर (iii) में उल्लिखित आधारों पर है।इस पहलू की चर्चा ऊपर पैरा 30 से 32 में की गई है।"

9. इसके अलावा अरुण कुमार गुप्ता (ऊपर) के मामले में फैसले के पैरा 15 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नीचे दिए गए सिद्धांत पर चर्चा की:-

"15. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुख्य बहस में से एक यह है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं को विभिन्न उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है, इसलिए पदोन्नति से पहले उनका रिकॉर्ड अपना स्टिंग खो देगा और इसका बहुत अधिक मूल्य नहीं है।डी. रामास्वामी बनाम स्टेट ऑफ <आईडी1> में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा रखा गया है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:(एस. सी. सी. पृष्ठ 513, पैरा 4)।

"4. कुछ ही महीने पहले अपीलकर्ता की पदोन्नति और उसके बाद अयोग्यता या अक्षमता के बारे में कुछ भी मामूली संकेत नहीं होने के कारण, अपीलकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने के सरकार के आदेश को बनाए रखना असंभव है।तमिलनाडु राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सरकार को अपीलकर्ता के पूरे इतिहास पर विचार करने का अधिकार है, जिसमें उसका वह हिस्सा भी शामिल है जो उसकी पदोन्नति से पहले का था।हम यह नहीं कहते कि किसी सरकारी कर्मचारी के पदोन्नत होने के बाद उसके पिछले इतिहास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए।कभी-कभी, पिछली घटनाएं मौजूदा आचरण का आकलन करने में मदद कर सकती हैं।लेकिन जब मौजूदा आचरण में पदोन्नति के विवेक पर कोई संदेह नहीं है, तो हम अतीत में अनावश्यक खुदाई करने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं।"

2. (1982) 1 एससीसी 510:1982 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 115

10. सुरेंद्र सिंह नेगी (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "जनहित" वाक्यांश का संदर्भ दिया जैसा कि नीचे दिया गया है:-

> "15. इसलिए, यहाँ महत्वपूर्ण पहलू "जनहित" है, और इसलिए, इन मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग हल्के में नहीं किया जा सकता है और कभी भी मनमाने ढंग से या द्वेष के साथ नहीं किया जा सकता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मुद्दे पर विचार करते हुए न्यायाधीश V.R। बलदेव राज चड्ढा बनाम भारत संघ **(**ए**.** आई**.** आर**. 1981** एस**.** सी**. 70)** के मामले में कृष्ण अय्यर ने ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी के वास्तविक भय और आशंकाओं को आवाज दी थी जब उन्होंने कहा था कि "यह **(**अनिवार्य सेवानिवृत्ति**)** एक सकारात्मक कार्रवाई है**,** न कि एक नकारात्मक स्वभाव**,** एक स्थिति निष्कर्ष**,** न कि एक तटस्थ दृष्टिकोण।यह उचित ठहराने के लिए एक अंतिम कदम है जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर है**,** न कि एक ऐसा मामला जहां पीड़ित को इसके विपरीत करना चाहिए।कार्यकाल की सुरक्षा सेवा की दक्षता की शर्त है।प्रशासन को सक्षम होने के लिए ऐसे सेवक होने चाहिए जो कल के बारे में अनिश्चितता से ग्रस्त न हों।**50** साल की उम्र में जब आपके पास पारिवारिक जिम्मेदारी होती है और अपने जीवन की शाम की गंभीर समस्याएं होती हैं**,** तो आपका अनुभव**,** उपलब्धियां और पूर्ण स्वास्थ्य प्रशासन बनने के लिए एक संपत्ति बन जाता है**,** अगर आप इस बात से परेशान या चिंतित नहीं हैं कि "मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा**?'**कैशियर होने पर मैं कहाँ जाऊँगा**?'**जब मैं नई नौकरी करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और सेवानिवृत्त होने के लिए बहुत छोटा हूँ तो मैं कैसे जीवित रहूंगा**?**ये विचार उन विभागों में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहां कार्यात्मक स्वतंत्रता**,** निडर जांच और उच्च स्थानों पर बुराई या त्रुटि को उजागर करने की स्वतंत्रता कार्य है। और लेखा परीक्षा कार्यालय के लोकपाल कार्य सी**.** एंड**.** आई**.** डी**. 1.** में निहित हैं और उनके अधीन पर्यवेक्षकों और अनुचरों की पूरी समूह राष्ट्र के वित्तीय स्वास्थ्य और अनुशासन के लिए बहुत रणनीतिक है कि सूक्ष्म खतरों और तिरछे अति-भय से मुक्ति बहुत अधिक जनहित में है।इसलिए हमें यह दृढ़ता से कहना चाहिए कि 'जनहित' की आड़ में यदि समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश देने के लिए असीमित विवेकाधिकार को स्वीकार्य माना जाता है**,** तो यह सार्वजनिक हित के लिए निश्चित रूप से खतरा होगा और अनुचितता**,** मनमानेपन और प्रच्छन्न बर्खास्तगी के लिए गिरना चाहिए।इस नियम को संवैधानिक बनाने के लिए**,** हमें इसे इस तरह पढ़ना चाहिए कि इसे उन शरारतों की संभावना से मुक्त किया जा सके जो हमने अभी-अभी पेश की हैं।सत्ता का प्रयोग ईमानदारी से होना चाहिए और जनहित को बढ़ावा देना चाहिए।(जोर दिया गया।) "

11. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पूरी कवायद दुर्भावपूर्ण या मनमाना नहीं है।आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले सेवा रिकॉर्ड की जांच की गई है।

12. अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान वित्तीय पुस्तिका खंड-II, भाग II-IV में निहित है। यह प्रावधान इस प्रकार है:-

> 56 (क) इस नियम में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस महीने के अंतिम दिन दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त होगा जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है:
>
> बशर्ते कि एक सरकारी कर्मचारी, जिसकी जन्म तिथि एक महीने का पहला दिन है, की दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त होगा

साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती महीने का अंतिम दिनः
बशर्ते कि एक सरकारी कर्मचारी, जिसने नवंबर, 2001 के पहले दिन या उससे पहले 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और सेवा में विस्तार पर है, अपनी विस्तारित सेवा अवधि की समाप्ति पर सेवा से सेवानिवृत्त होगा।

....

....

(c) खंड (क) या खंड (ख) में किसी बात के होते के बावजूद।नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी भी सरकारी कर्मचारी (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी) को कोई कारण बताए बिना, उसे पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होने के लिए कह सकता है या ऐसा सरकारी कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना देकर, पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद या बीस वर्ष के लिए योग्यता सेवा पूरी करने के बाद किसी भी समय स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है।
(d) इस तरह की सूचना की अवधि तीन महीने की होगी:बशर्ते किः-

,,
,,
",,,
",

13. जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, नियम 56 के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि उपयुक्त प्राधिकारी को जनहित में किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का आत्यन्तिक अधिकार है।

14. उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम रामचंद्र दास, (1996) 5 एस. सी. सी. 331 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "केवल इसलिए कि प्रतिकूल प्रविष्टियां किए जाने के बाद भी पदोन्नति दी गई है**,** यह ध्यान दें का आधार नहीं हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता है।
.....प्रासंगिक बात यह होगी कि क्या रिकॉर्ड की उस स्थिति में एक उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति के रूप में सरकार या सक्षम अधिकारी उस निर्णय पर पहुंचेंगे।"

15. निशा प्रिया भाटिया बनाम भारत संघ और एक अन्य, (2020) 13 एस. सी. सी. 56 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा**,** "एक अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय विशुद्ध रूप से मौजूदा परिस्थितियों के आलोक में प्रयोग किया जाने वाला एक कार्यकारी कार्य है।न्यायालय द्वारा जांच इस बात की जांच तक ही सीमित है कि क्या ऐसा आदेश दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचारों से प्रभावित है।"

16. गुजरात राज्य बनाम उमेदभाई एम. पटेल, (2001) 3 एस. सी. सी. 314 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया गया है:-

> "11. अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित कानून अब निश्चित सिद्धांतों में परिवर्तित हो गया है, जिन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:
>
> (i) जब भी किसी लोक सेवक की सेवाएँ सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी नहीं होती हैं, तो लोक हित के लिए अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।
>
> (ii) आम तौर पर, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को इसके तहत आने वाली सजा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 311 संविधान से।
>
> (iii) बेहतर प्रशासन के लिए, मृत लकड़ी को काटना आवश्यक है, लेकिन अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अधिकारी के पूरे सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए पारित किया जा सकता है।
>
> (iv) गोपनीय अभिलेख में की गई किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि पर ध्यान दें जाएगा और इस तरह के आदेश को पारित करने में उचित महत्व दिया जाएगा।
>
> (v) यहाँ तक कि गोपनीय अभिलेख में असंबद्ध प्रविष्टियों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।
>
> (vi) जब ऐसा पाठ्यक्रम अधिक वांछनीय हो तो विभागीय जांच से बचने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को शॉर्टकट के रूप में पारित नहीं किया जाएगा।
>
> (vii) यदि गोपनीय रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टियों के बावजूद अधिकारी को पदोन्नति दी गई थी, तो यह अधिकारी के पक्ष में एक तथ्य है।
>
> (viii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति को दंडात्मक उपाय के रूप में लागू नहीं किया जाएगा।"

17. कानून के निर्धारित दृष्टीकोण यह है कि उपयुक्त प्राधिकारी के निर्णय में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।निर्णय को तब तक चुनौती नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि मनमाना, दुर्भावपूर्ण, पूर्वाग्रह आदि न हों। निर्णय का उल्लंघन करते हुए दिखाया गया है।यह एक कार्यकारी कार्य है, लेकिन फिर आदेशिका और निर्णय लेने की आदेशिका हमेशा न्यायिक समीक्षा के बशर्ते होती है।उपयुक्त अधिकारी किसी भी नियम और विनियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। प्रक्रिया का पालन करना होगा।आखिरकार, यह उस कर्मचारी के रोजगार को समाप्त करने की बात है, जिसने कुछ समय तक राज्य की सेवा की थी।

18. रिट याचिका के पैराग्राफ 16 में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि उनके मामले पर विचार किया गया था और समिति ने उन्हें जारी रखने की सिफारिश की थी और यह भी राय दी थी कि यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए उपयुक्त नहीं है।इस निर्णय को जिला मजिस्ट्रेट ने मंजूरी दी। अपने जवाबी शपथ पत्र में, राज्य ने इसका कोई विशेष खंडन नहीं किया है।वास्तव में, अपने जवाबी शपथ पत्र के पैरा 12 में, राज्य ने बस इतना कहा है कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद लिया गया था।के कार्यवृत्त का कोई जवाब नहीं है

जाँच समिति दिनांक 18.11.2019 और उस पर लिया गया निर्णय, जैसा कि याचिकाकर्ता ने कहा है।

19. राज्य ने अपने जवाबी शपथ पत्र में कोई जवाब नहीं दिया है कि कैसे एक बार 18.11.2019 पर याचिकाकर्ता के मामले का आकलन करने के बाद, फिर से उसका मामला 10.01.2020 पर विचार के लिए लिया गया था।

20. जैसा कि कहा गया है, सरकारी आदेश दिनांक 20.02.2002 क्र. सं. नहीं। 6 जाँच समिति की कार्यवाही के लिए एक समय सारिणी देता है और इसके उपखंड (2) के अनुसार जाँच समिति प्रत्येक वर्ष बैठक करेगी।इसमें यह प्रावधान नहीं है कि जांच समिति किसी भी समय इस मामले को उठा सकती है।इसमें यह भी प्रावधान नहीं है कि जाँच समिति दो महीने के अंतराल पर बैठ सकती है।

21. जाँच समिति की अनुशंसा दिनांक 18.11.2019 याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के संलग्नक 7 के रूप में दायर की गई है।यह उस वीडियो पत्र संख्या से शुरू होता है। जाँच समिति की बैठक बुलाने के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के निर्देश की धारा 218 दी गई थी।

22. राज्य द्वारा अपने जवाबी शपथ पत्र, जो कि संलग्नक 3 है, के साथ दिनांकित 10.01.2020 की जाँच समिति के कार्यवृत्त को दाखिल किया गया है।इसके पहले पैराग्राफ में, पत्र संख्या का संदर्भ है। मुख्य सचिव की 218 दिनांकित आई. डी. 2 दी गई है और यह कहा गया है कि यदि वर्ष आई. डी. 3 में जांच समिति की बैठक नहीं बुलाई गई थी, तो इके अनुसार इस तरह के अनुसार बुलाया जाए और विवरण आगे बताता है कि इसके अनुसार, जांच समिति की बैठक आई. डी. 1 पर आयोजित की गई थी।लेकिन, यह कथन अपने आप में गलत है क्योंकि वास्तव में, जांच समिति ने पत्र संख्या के के अनुसार अपनी बैठक बुलाई थी। 218 दिनांकित 24.07.2019 उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव की 18.11.2019 पर, जो रिट याचिका का संलग्नक 7 है और क्र. सं. 8, याचिकाकर्ता के मामले पर पहले ही विचार किया जा चुका था।यह दर्ज करता है कि प्रतिकूल गोपनीय टिप्पणियाँ 1998-1999, 2003-2004, 2004-2005 और 2007-2008 के साथ-साथ उप-मंडल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट

दिनांक 1 पर भी विचार किया गया और उसके बाद, जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जाना चाहिए।इन कार्यवाहियों को अस्वीकार नहीं किया जाता है।

23. प्रतिवादी राज्य ने अपने जवाबी शपथ पत्र में, पैरा 3 में कहा है कि याचिकाकर्ता ने 31.10.2019 पर 50 वर्ष की आयु पूरी की है।उनके मामले की जाँच समिति द्वारा 18.11.2019 पर समीक्षा की गई थी और ऐसा करते समय, वर्ष 1998-1999, 2003-2004, 2004-2005 और 2007-2008 के लिए एसीआर के साथ 09.09.2019 की उप-मंडल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर विचार किया गया था।सरकारी आदेश दिनांक 20.02.2002 को ध्यान में रखते हुए, एक साल के बाद फिर से याचिकाकर्ता के मामले पर जांच समिति द्वारा विचार किया जा सकता था, लेकिन इसे 10.01.2002 पर दो महीने के बाद ही विचार किया गया।यह किसी भी नियम या किसी दिशानिर्देश के तहत प्रदान नहीं किया गया है।सरकारी आदेश दिनांक 20.02.2002 इसके लिए प्रावधान नहीं करता है।दो महीने के बाद फिर से समीक्षा कैसे की गई?राज्य सरकार की ओर से इसका कोई जवाब नहीं है।इसलिए, यह प्रक्रियात्मक अनुचितता है और यह निर्णय को दूषित करती है।इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि आक्षेपित आदेश खराब है और इसे रद्दना चाहिए।

24. रिट याचिका की अनुमति है।

25. 17.01.2020 दिनांकित आक्षेपित आदेश को रद्द गया है।

(रवींद्र मैथानी, जे.)

04.05.2021

जितेंद्र